मीरजापुर पुलिस
प्रेस नोट
दिनांकः 05.03.2024

एसओजी/सर्विलांस व थाना को0देहात की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अनुमानित कीमत ₹ 23 करोड़ की अवैध अफीम (22.365 किलोग्राम) के साथ अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'अभिनन्दन' द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाते हुए तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाकर की जा रही कार्यवाही में एस.ओ.जी/सर्विलांस व थाना को0देहात की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल मार्गदर्शन में दिनांकः 04.03.2024 को एस.ओ.जी./सर्विलांस व थाना को0देहात की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना को0देहात क्षेत्रांतर्गत बरकछा मोड़ बहद ग्राम बरकछा से चार पहिया वाहन रिनाल्ट फ्ल्यूवेन्स कार संख्या – DL 8 CZ 9429 से 01 नफर अभियुक्त हेमन्त धानुक पुत्र गोविन्द रामजी निवासी प्लाट नं0- 456, फ्लैट न0- 302 शिवगंगा अपार्टमेन्ट, शिवसिटी, निहालपुर मुण्डी थाना राजेन्द्र नगर, जनपद इन्दौर, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। वाहन की तलाशी में कुल 22.365 किलो ग्राम अवैध अफीम (अनुमानित कीमत ₹ 23 करोड़) बरामद की गयी। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना को0देहात पर मु0अ0सं0-46/2024 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है। अफीम तस्करी में प्रयुक्त रिनाल्ट फ्ल्यूवेन्स कार वाहन संख्या DL 8 CZ 9429 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मेरे द्वारा अफीम तस्करी का काम पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है जोकि उत्तर प्रदेश-झारखण्ड के बार्डर से चार पहिया वाहन में कैबिन बनाकर उसमें अफीम छिपाकर मीरजापुर के रास्ते इन्दौर मध्य प्रदेश ले जाकर वहां से देश के विभिन्न प्रांतो में मांग के अनुसार सप्लाई की जाती है। इस काम के एवज में अच्छी खासी रकम मिल जाती है, जिस पैसे का उपयोग हम अपने भौतिक सुख सुविधा के लिये करते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

हेमन्त धानुक पुत्र गोविन्द रामजी निवासी प्लाट नं0- 456, फ्लैट न0- 302 शिवगंगा अपार्टमेन्ट, शिवसिटी, निहालपुर मुण्डी थाना राजेन्द्र नगर, जनपद इन्दौर, मध्य प्रदेश, उम्र करीब 42 वर्ष।

बरामदगी विवरण —

1- 22.365 किलो ग्राम अवैध अफीम (अनुमानित कीमत ₹ 23 करोड़).
2- अफीम तस्करी में प्रयुक्त चार पहिया वाहन रिनाल्ट फ्ल्यूवेन्स कार संख्या – DL 8 CZ 9429
3- जामातलासी से 01 अदद मोबाइल फोन व 1110 रू0 बरामद।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0स0-46/2024 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना को0देहात जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय —

थाना को0देहात क्षेत्रांतर्गत बरकछा मोड़ बहद ग्राम बरकछा के पास से, दिनांकः04.03.2024 को समय करीब 18.45 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक थाना को0देहात राणा प्रताप यादव मय पुलिस टीम।
उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह प्रभारी एसओजी/ सर्विलांस मय पुलिस टीम।

सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा उत्साहवर्धन हेतु रु0 25000 के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।